लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1537
उत्तर देने की तारीख : 07.12.2021

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

1537. श्री गणेश सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों की सीधी भर्ती में, जिन पर नियुक्ति के लिए स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवार सामान्यतः इच्छुक रहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार के समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर अखिल भारतीय स्तर की बजाए स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर सीधी भर्ती की जाती है और इस हेतु स्थानीय उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने का प्रावधान है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत सरकार के समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों की सीधी भर्ती के लिए ओबीसी हेतु निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण में संशोधन कब किया गया और वर्ष 1993 से 2021 तक ओबीसी आरक्षण प्रतिशत में राज्य-वार कितनी कटौती की गई है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (घ): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, किसी इलाके अथवा क्षेत्र से उम्मीदवारों को सामान्य रूप से आकर्षित करने वाली समूह 'ग' और समूह 'घ' की सीधी भर्ती के मामलों में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए आरक्षण की प्रमात्रा को का.ज्ञा. संख्या-36012/22/1993- स्था. (एससीटी) दिनांक 29.12.1993 द्वारा प्रारंभ में वर्ष 1993 में 27% की उच्चतम सीमा पर नियत किया गया था, साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी सूरत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं हो।

जनगणना 2001 के आंकडों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रमात्रा को का.ज्ञा. संख्या-36017/1/2014- स्था. (आ.) दिनांक 05.07.2005 द्वारा संशोधित किया गया था। दिनांक 29.12.1993 और 05.07.2005 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापनों की प्रति क्रमशः **अनुबध-I और अनुबंध-II** में दी गई है।

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

संख्या-36012/22/93-स्था०(अ०जा०)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

....

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.93

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान आरक्षण रोस्टर को इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 द्वारा संशोधित करके 200 प्वाइंट रोस्टर कर दिया गया था ।

2. खुली प्रतियोगी परीक्षा के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान 40 प्वाइंट रोस्टर को 120 प्वाइंट रोस्टर में संशोधित कर दिया गया है । इसका माडल फार्मेट अनुबन्ध-I पर दिया गया है । समूह "ग" तथा "घ" पदों की सीधी भर्ती के संबंध में जहां सामान्यतः स्थानीय तथा क्षेत्रीय उम्मीदवार लिये जाते हैं, 100 प्वाइंट के विद्यमान रोस्टर को भी अनुबन्ध-II पर यथानिर्दिष्ट माडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

3. संशोधित रोस्टर तत्काल रूप से प्रभावी होगा । दिनांक 8.9.93 को तथा उसके पश्चात भरी हुई रिक्तियां नये रोस्टरों में दिखाई जानी चाहिये । पुराने रोस्टर इस तारीख से समाप्त हुए समझे जाएंगे तथा पिछले रोस्टरों में जिस आरक्षण को आगे ले जाया जाना था उसे नये रोस्टर में आगे ले जाया जायेगा ।

ह0/-

(एम0 वेंकटरमन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।

(58)

खुली प्रतियोगी परीक्षा को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों का मॉडल रोस्टर ।

1.	अनुसूचित जाति	37.	अनुसूचित जाति
2.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
3.	अनुसूचित जनजाति	39.	अन्य पिछड़े वर्ग
4.	अनारक्षित	40.	अनारक्षित
5.	अन्य पिछड़े वर्ग	41.	अनुसूचित जाति
6.	अनारक्षित	42.	अनारक्षित
7.	अनुसूचित जाति	43.	अनुसूचित जनजाति
8.	अनारक्षित	44.	अनारक्षित
9.	अन्य पिछड़े वर्ग	45.	अन्य पिछड़े वर्ग
10.	अनारक्षित	46.	अनारक्षित
11.	अन्य पिछड़े वर्ग	47.	अनुसूचित जाति
12.	अनारक्षित	48.	अनारक्षित
13.	अनुसूचित जाति	49.	अन्य पिछड़े वर्ग
14.	अनारक्षित	50.	अनारक्षित
15.	अन्य पिछड़े वर्ग	51.	अन्य पिछड़े वर्ग
16.	अनारक्षित	52.	अनारक्षित
17.	अनुसूचित जनजाति	53.	अनुसूचित जाति
18.	अनारक्षित	54.	अनारक्षित
19.	अनुसूचित जाति	55.	अन्य पिछड़े वर्ग
20.	अनारक्षित	56.	अनारक्षित
21.	अन्य पिछड़े वर्ग	57.	अनुसूचित जनजाति
22.	अनारक्षित	58.	अनारक्षित
23.	अन्य पिछड़े वर्ग	59.	अनुसूचित जाति
24.	अनारक्षित	60.	अनारक्षित
25.	अनुसूचित जाति	61.	अन्य पिछड़े वर्ग
26.	अनारक्षित	62.	अनारक्षित
27.	अन्य पिछड़े वर्ग	63.	अन्य पिछड़े वर्ग
28.	अनारक्षित	64.	अनारक्षित
29.	अनुसूचित जनजाति	65.	अनुसूचित जाति
30.	अनारक्षित	66.	अनारक्षित
31.	अनुसूचित जाति	67.	अन्य पिछड़े वर्ग
32.	अनारक्षित	68.	अनारक्षित
33.	अन्य पिछड़े वर्ग	69.	अनुसूचित जनजाति
34.	अनारक्षित	70.	अनारक्षित
35.	अन्य पिछड़े वर्ग	71.	अनुसूचित जाति
36.	अनारक्षित	72.	अनारक्षित

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

73. अन्य पिछड़े वर्ग
74. अनारक्षित
75. अन्य पिछड़े वर्ग
76. अनारक्षित
77. अनुसूचित जाति
78. अनारक्षित
79. अन्य पिछड़े वर्ग
80. अनारक्षित
81. अनुसूचित जाति
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जनजाति
84. अनारक्षित
85. अन्य पिछड़े वर्ग
86. अनारक्षित
87. अनुसूचित जाति
88. अनारक्षित
89. अन्य पिछड़े वर्ग
90. अनारक्षित
91. अन्य पिछड़े वर्ग
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जाति
94. अनारक्षित
95. अन्य पिछड़े वर्ग
96. अनारक्षित
97. अनुसूचित जनजाति
98. अनारक्षित
99. अनुसूचित जाति
100. अनारक्षित
101. अन्य पिछड़े वर्ग
102. अनारक्षित
103. अन्य पिछड़े वर्ग
104 अनारक्षित
105. अनुसूचित जाति
106. अनारक्षित
107. अन्य पिछड़े वर्ग
108. अनारक्षित
109. अनुसूचित जनजाति
110. अनारक्षित
111. अनुसूचित जाति
112. अनारक्षित
113. अन्य पिछड़े वर्ग
114. अनारक्षित
115. अन्य पिछड़े वर्ग
116. अनारक्षित
117. अन्य पिछड़े वर्ग
118. अनारक्षित
119. अन्य पिछड़े वर्ग
120. अनारक्षित

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

100 प्वाइंट रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्यपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्वाइंट को दर्शाने वाला मॉडल रोस्टर जहां भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है ।

क्र०सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता | अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि० वर्गों के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर में आरक्षित किए जाने वाले वास्तविक प्वाइंट

1.	2.	3.	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश 15 अ०जा०/6/अ०ज०जा०/27, अ०पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 63, 69, 77, 83, 89, (15) पॉइंट
		अ०ज०जा०	3, 23, 39, 59, 79, 95 (6) पॉइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33, 35, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 93. (27) पॉइंट
2.	असम 6 अ०जा०/11/अ०ज०जा०/27/अ०पि०वर्ग.	अ०जा०	3, 19, 33, 53, 73, 89 (6) पॉइंट
		अ०ज०जा०	1, 9, 21, 29, 39, 49, 57, 67, 75, 85, 93. (11) पॉइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 51, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 95. (27) पॉइंट
3.	बिहार 15 अ०जा०/9/अ०ज०जा०/21/अ०पि०वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 43, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) पॉइंट
		अ०ज०जा०	15, 25, 37, 47, 59, 67, 79, 93. (9) पॉइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 17, 21, 23, 29, 31, 35, 41, 45, 49, 53, 55, 61, 65, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95 97, 99. (26) पॉइंट
4.	गुजरात 7 अ०जा०/14 अ०ज०जा०/27/अ०पि०वर्ग	अ०जा०	3, 17, 31, [illegible], [illegible], 73, 87. (7) Points. पॉइंट
		अ०ज०जा०	1, 7, 15, [illegible], [illegible], 35, 43, 49, 57, 63, 71, 77, 85, 91. (14) पॉइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 89, 93, 95. (27) पॉइंट
5.	हरियाणा 19 अ०जा०/शून्य अ०ज०जा०/27 अ०पि०वर्ग	अ०जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) पॉइंट
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ०पि०वर्ग	3, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93. (27) पॉइंट

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
6.	हिमाचल प्रदेश 25 अ०जा० / 5 अ०ज०जा० / 20 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97. (25) [illegible]
		अ०ज०जा०	3, 23, 43, 63, 83 (5) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	7, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 39, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 75, 79, 87, 91, 95, 99. (20) [illegible]
7.	~~जम्मू तथा कश्मीर~~ 9 अ०जा० / 13 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 15, 27, 37, 47, 59, 69, 83, 93. (9) [illegible]
		अ०ज०जा०	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97. (13) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 43, 45, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 71, 75, 79, 85, 87, 91, 95, 99. (27) [illegible]
8.	[illegible] 15 अ०जा० / 5 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) [illegible]
		अ०ज०जा०	3, 29, 53, 79, 93. (5) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 99. (27) [illegible]
9.	~~केरल~~ 10 अ०जा० / 1 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. (10) [illegible]
		अ०ज०जा०	(1) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	5, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 55, 57, 61, 65, 71, 73, 77, 81, 85, 91, 95, 99. (27) [illegible]
10.	मध्य प्रदेश 14 अ०जा० / 23 अ०ज०जा० / 13 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87. (14) [illegible]
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89 (23) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	7, 15, 27, 39, 47, 55, [illegible] 97, 99. ([illegible]) [illegible]
11.	महाराष्ट्र 7 अ०जा० / 9 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 17, 31, 45, 59, 73, 87. (7) [illegible]
		अ०ज०जा०	1, 11, 23, 33, 43, 55, 67, 79, 91 (9) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	5, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 69, 71, 75, 81, 83, 89, 93, 95, 99. (27) [illegible]

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

(74)

1.	2.	3.	4.
12.	मणिपुर 1 अ०जा०/27 अ०ज०जा०/ 22 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3 (1) प्वाइंट अ०ज०जा० 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) प्वाइंट अ० पि०वर्ग 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (22) प्वाइंट	
13.	मेघालय 1 अ०जा०/44 अ० ज०जा०/ 5 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3 (1) प्वाइंट अ० ज०जा० 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97. (44) प्वाइंट अ० पि० वर्ग 7, 25, 43, 57, 99. (5) प्वाइंट	
14.	मिजोरम शून्य अ०जा०/45 अ०ज०जा०/ 5 अ० पि० वर्ग	अ० जा० शून्य अ०ज०जा० 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 99. (45) Points. अ०पि०वर्ग 5, 53, 57, 91, 97. (5) प्वाइंट	
15.	उड़ीसा 15 अ०जा०/23 अ०ज०जा०/ 12 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95. (15) प्वाइंट अ०ज०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89. (23) प्वाइंट अ०पि०वर्ग 7, 15, 27, 39, 47, 55, 67, 79, 91, 93, 97, 99. (12) प्वाइंट	
16.	पंजाब 27 अ०जा०/शून्य अ०ज०जा०/ 23 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) प्वाइंट अ०ज०जा० शून्य अ० पि०वर्ग 3, 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (23) प्वाइंट	
17.	राजस्थान 17 अ०जा०/27 अ०ज०जा०/ 21 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97. (17) प्वाइंट अ०ज०जा० 3, 11, 21, 27, 35, 45, 51, 59, 69, 75, 83, 93. (12) प्वाइंट अ०पि०वर्ग 5, 9, 15, 17, 23, 29, 33, 39, 41, 47, 53, 57, 63, 65, 71, 77, 81, 87, 89, 95, 99. (21) प्वाइंट	

https://www.staffnews.in | https://www... | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
18.	सिक्किम 6 अ०जा०/23 अ०ज०जा०/ 21 अ०पि० वर्ग	अ०जा० 3, 23, 41, 59, 77, 93 (6) अ०ज०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95. (23) अ०पि०वर्ग 7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 73, 81, 85, 89, 97, 99. (21)	
19.	~~[illegible]~~ 19 अ०जा०/1 अ०ज०जा०/ 27 अ०पि० वर्ग	अ०जा० 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) अ०ज०जा० 3 (1) अ०पि०वर्ग 7, 9, 13, 17, 23, 27, 29, 33, 37, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 99. (27)	
20.	त्रिपुरा 15 अ०जा०/29 अ०ज०जा०/ 6 अ०पि० वर्ग	अ०जा० 3, 11, 17, 23, 31, 37, 45, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95. (15) अ०ज०जा० 1, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 91, 93. (29) अ०पि०वर्ग 7, 25, 43, 57, 97, 99. (6)	

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
21.	उत्तर प्रदेश 21 अ०जा०/1 अ०ज०जा०/ 27 अ० पि० वर्ग	अ० जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 5 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 89, 95, 9 (21) [illegible]
		अ०ज०जा०	3 (1) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 39, 4 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 7 83, 87, 91, 93, 97. (27) [illegible]
22.	~~पश्चिम~~ बंगाल 22 अ०जा०/6 अनु०जन०जा०/ 22 अन्य पि० वर्ग	अ० जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45. 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91. (22) [illegible]
		अ०ज०जा०	3, 23, 43, 63, 85, 97. (6)
		अ० पि० वर्ग	7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 41, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 95. (22) [illegible]
	संघ शासित क्षेत्र 1. अंडमान निकोबार द्वीप	अ०जा०	शून्य
		अ०ज०जा०	1, 9, 17, 25, 33, 43, 51, 59, 67, 75, 83. 93. (12) [illegible]
		अ० पि० वर्ग	3, 7, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 39, 45, 47, 53, 55, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81, 85, 89, 95, 97, 99. (27)

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
2.	चण्डीगढ़ 14 अ०जा० / शून्य अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 15, 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71 77, 85, 91. (14)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ० पि० वर्ग	3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 37 41, 45, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 81 87, 89, 93, 95, 99. (27)
3.	दादरा और नगर हवेली 2 अ० जा० / 43 अ० ज० जा० / 5 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 53 (2)
		अ०ज०जा०	1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97. (43)
		अ० पि० वर्ग	5, 49, 55, 95, 99. (5)
4.	दमन व द्वीव 2 अ०जा० / 1 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 49 (2)
		अ०ज०जा०	3 (1).
		अ० पि० वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43, 47, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 95, 99. (27) Points.
5.	पांडिचेरी 16 अ०जा० / शून्य अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 11, 19, 25, 31, 37, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93. (16)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ० पि० वर्ग	3, 5, 13, 15, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 65, 67, 73, 77, 79, 85, 89, 91, 95, 99. (27)

टिप्पणी :-

1. अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा लक्षद्वीप के संबंध में वर्तमान आरक्षण रोस्टरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
2. गोवा के लिए आरक्षण रोस्टर वही होगा जो दमन तथा दीव के संघ शासित प्रदेश के लिए है ।
3. दिल्ली के मामले में अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर का पालन किया जाएगा ।

अ०जा०	- अनुसूचित जाति
अ०ज०जा०	- अनुसूचित जनजाति
अ०पि०वर्ग	- अन्य पिछड़े वर्ग

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

Annexure 86 II

संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

5 JUL 2005

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2005

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, सामान्यतः संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नियत किया जाता है । 1981 की जनगणना के आधार पर यह आरक्षण पिछली बार 1985 में नियत किया गया था । ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, 27 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन 1993 में नियत किया गया था, जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि किसी भी हालत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो । अब समूह 'ग' और 'घ' पदों जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा को 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए अनुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है ।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे । तथापि, ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व विद्यमान आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार, पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेज दिया गया है अथवा पदों के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है ।

..............2/-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

3. यह अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दिया जाए ।

(के. जी. वर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092797

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-I, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली, लोक उद्यम चयन बोर्ड, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
16. स्थापना (आरक्षण) अनुभाग के लिए 300 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
जारी किया/ISSUED
ह/Sig.

-/2-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

दिनांक 05.07.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण) का अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरक्षण की प्रतिशतता		
		अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	27
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	45	0
3.	असम	7	12	27
4.	बिहार	16	1	27
5.	छत्तीसगढ़	12	32	6
6.	गोवा	2	0	18
7.	गुजरात	7	15	27
8.	हरियाणा	19	0	27
9.	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
~~10.~~	~~जम्मू और कश्मीर~~	~~8~~	~~11~~	~~27~~
11.	झारखंड	12	26	12
12.	कर्नाटक	16	7	27
13.	केरल	10	1	27
14.	मध्य प्रदेश	15	20	15
15.	महाराष्ट्र	10	9	27
16.	मणिपुर	3	34	13
17.	मेघालय	1	44	5
18.	मिजोरम	0	45	5
19.	नागालैंड	0	45	0
20.	उड़ीसा	16	22	12
21.	पंजाब	29	0	21
22.	राजस्थान	17	13	20
23.	सिक्किम	5	21	24
24.	तमिलनाडु	19	1	27
25.	त्रिपुरा	17	31	2
26.	उत्तरांचल	18	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28.	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8	27
30.	चण्डीगढ़	18	0	27
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	43	5
32.	दमन एवं दीव	3	9	27
33.	दिल्ली	15	7.5	27
34.	लक्षद्वीप	0	45	0
35	पांडिचेरी	16	0	27

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. †1537
TO BE ANSWERED ON 07.12.2021

OBC RESERVATION

†1537. SHRI GANESH SINGH:

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is correct that in the direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' post of the Government of India, on which local or regional candidates are generally interested for appointment, the 27 per cent reservation prescribed for Other Backward Classes has been amended;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' post of Government of India is done on local or regional basis instead of all India level and there is a provision to invite applications from local candidates only, if so, the details thereof; and

(d) the time when the amendment was made in the 27 per cent reservation prescribed for OBCs for direct recruitment of Group 'C' and Group 'D' posts of the Government of India and State-wise reduction made in the percentage of OBC reservation from 1993 to 2021?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(SUSHRI PRATIMA BHOUMIK)

(a) to (d): As per information given by the Department of Personnel and Training, the quantum of reservation for OBCs in respective States/UTs, in case of direct recruitment to Group 'C' and 'D' posts, normally attracting candidates from a locality or a region, was initially fixed in 1993, vide O.M. No. 36012/22/1993-Estt(SCT) dated 29.12.1993, subject to a ceiling of 27%, while also ensuring that the total reservation for SCs, STs and OBCs did not exceed the limit of 50% in any case.

This quantum of reservation for SCs, STs and OBCs was revised vie OM No. 36017/1/2014-Estt.(Res.), dated 5.7.2005, keeping in view the figures of the 2001 Census. Copies of the aforesaid O.M.s, dated 29.12.1993 and 5.7.2005, are at **Annexure-I** and **Annexure-II** respectively.

*****

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

Annexure-I

संख्या-36012/22/93-स्था0(अनु0जा0)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

....

नई दिल्ली, दिनांक 29.12.93

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्गों को दिए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान आरक्षण रोस्टर को इस विभाग के दिनांक 22.10.93 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 द्वारा संशोधित करके 200 प्वाइंट रोस्टर कर दिया गया था ।

2. खुली प्रतियोगी परीक्षा के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के संबंध में जहां अनुसूचित जाति के लिए $16\frac{2}{3}$ प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत आरक्षण है वहां विद्यमान 40 प्वाइंट रोस्टर को 120 प्वाइंट रोस्टर में संशोधित कर दिया गया है । इसका माडल फार्मेट अनुबन्ध-I पर दिया गया है । समूह "ग" तथा "घ" पदों की सीधी भर्ती के संबंध में जहां सामान्यत: स्थानीय तथा क्षेत्रीय उम्मीदवार लिये जाते हैं, 100 प्वाइंट के विद्यमान रोस्टर को भी अनुबन्ध-II पर यथानिर्दिष्ट माडल के अनुसार संशोधित किया गया है ।

3. संशोधित रोस्टर तत्काल रूप से प्रभावी होगा । दिनांक 8.9.93 को तथा उसके पश्चात भरी हुई रिक्तियाँ नये रोस्टरों में दिखाई जानी चाहिये । पुराने रोस्टर इस तारीख से समाप्त हुए समझे जाएंगे तथा पिछले रोस्टरों में जिस आरक्षण को आगे [illegible] बढ़ाया जाना था उसे नये रोस्टर में आगे ले जाया जायेगा ।

ह0/-

(एम0 वेंकटरमन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

(58)

खुली प्रतियोगी परीक्षा को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदों का मॉडल रोस्टर ।

1.	अनुसूचित जाति	37.	अनुसूचित जाति
2.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
3.	अनुसूचित जनजाति	39.	अन्य पिछड़े वर्ग
4.	अनारक्षित	40.	अनारक्षित
5.	अन्य पिछड़े वर्ग	41.	अनुसूचित जाति
6.	अनारक्षित	42.	अनारक्षित
7.	अनुसूचित जाति	43.	अनुसूचित जनजाति
8.	अनारक्षित	44.	अनारक्षित
9.	अन्य पिछड़े वर्ग	45.	अन्य पिछड़े वर्ग
10.	अनारक्षित	46.	अनारक्षित
11.	अन्य पिछड़े वर्ग	47.	अनुसूचित जाति
12.	अनारक्षित	48.	अनारक्षित
13.	अनुसूचित जाति	49.	अन्य पिछड़े वर्ग
14.	अनारक्षित	50.	अनारक्षित
15.	अन्य पिछड़े वर्ग	51.	अन्य पिछड़े वर्ग
16.	अनारक्षित	52.	अनारक्षित
17.	अनुसूचित जनजाति	53.	अनुसूचित जाति
18.	अनारक्षित	54.	अनारक्षित
19.	अनुसूचित जाति	55.	अन्य पिछड़े वर्ग
20.	अनारक्षित	56.	अनारक्षित
21.	अन्य पिछड़े वर्ग	57.	अनुसूचित जनजाति
22.	अनारक्षित	58.	अनारक्षित
23.	अन्य पिछड़े वर्ग	59.	अनुसूचित जाति
24.	अनारक्षित	60.	अनारक्षित
25.	अनुसूचित जाति	61.	अन्य पिछड़े वर्ग
26.	अनारक्षित	62.	अनारक्षित
27.	अन्य पिछड़े वर्ग	63.	अन्य पिछड़े वर्ग
28.	अनारक्षित	64.	अनारक्षित
29.	अनुसूचित जनजाति	65.	अनुसूचित जाति
30.	अनारक्षित	66.	अनारक्षित
31.	अनुसूचित जाति	67.	अन्य पिछड़े वर्ग
32.	अनारक्षित	68.	अनारक्षित
33.	अन्य पिछड़े वर्ग	69.	अनुसूचित जनजाति
34.	अनारक्षित	70.	अनारक्षित
35.	अन्य पिछड़े वर्ग	71.	अनुसूचित जाति
36.	अनारक्षित	72.	अनारक्षित

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

73. अन्य पिछड़े वर्ग
74. अनारक्षित
75. अन्य पिछड़े वर्ग
76. अनारक्षित
77. अनुसूचित जाति
78. अनारक्षित
79. अन्य पिछड़े वर्ग
80. अनारक्षित
81. अनुसूचित जाति
82. अनारक्षित
83. अनुसूचित जनजाति
84. अनारक्षित
85. अन्य पिछड़े वर्ग
86. अनारक्षित
87. अनुसूचित जाति
88. अनारक्षित
89. अन्य पिछड़े वर्ग
90. अनारक्षित
91. अन्य पिछड़े वर्ग
92. अनारक्षित
93. अनुसूचित जाति
94. अनारक्षित
95. अन्य पिछड़े वर्ग
96. अनारक्षित
97. अनुसूचित जनजाति
98. अनारक्षित
99. अनुसूचित जाति
100. अनारक्षित
101. अन्य पिछड़े वर्ग
102. अनारक्षित
103. अन्य पिछड़े वर्ग
104 अनारक्षित
105. अनुसूचित जाति
106. अनारक्षित
107. अन्य पिछड़े वर्ग
108. अनारक्षित
109. अनुसूचित जनजाति
110. अनारक्षित
111. अनुसूचित जाति
112. अनारक्षित
113. अन्य पिछड़े वर्ग
114. अनारक्षित
115. अन्य पिछड़े वर्ग
116. अनारक्षित
117. अन्य पिछड़े वर्ग
118. अनारक्षित
119. अन्य पिछड़े वर्ग
120. अनारक्षित

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

अनुबन्ध-II

100 प्वाइंट रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्वाइंट को दर्शाने वाला मॉडल रोस्टर जहां भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है ।

- -

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि०वर्गों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

अ०जा०/अ०ज०जा०/अ०पि० वर्गों के लिए 100 प्वाइंट रोस्टर में आरक्षित किए जाने वाले वास्तविक प्वाइंट

1.	2.	3.	4.
1.	[illegible] आन्ध्र प्रदेश 15 अ०जा०/6/अ०ज०जा०/27 अ०पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 63, 69, 77, 83, 89, (15) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	3, 23, 39, 59, 79, 95 (6) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 27, 29, 33, 35, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 93. (27) प्वाइंट
2.	[illegible] असम 6 अ०जा०/11/अ०ज०जा०/27/अ०पि०वर्ग	अ०जा०	3, 19, 33, 53, 73, 89 (6) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	1, 9, 21, 29, 39, 49, 57, 67, 75, 85, 93. (11) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 7, 11, 15, 17, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 51, 55, 59, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 87, 91, 95. (27) प्वाइंट
3.	[illegible] बिहार 15 अ०जा०/9/अ०ज०जा०/21/अ०पि०वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 43, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	15, 25, 37, 47, 59, 67, 79, 93. (9) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 17, 21, 23, 29, 31, 35, 41, 45, 49, 53, 55, 61, 65, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95 97, 99. (2[illegible]) प्वाइंट
4.	[illegible] गुजरात 7 अ०जा०/14 अ०ज०जा०/27/अ०पि०वर्ग	अ०जा०	[illegible], 17, 3[illegible], [illegible], 87. ([illegible]) Points. प्वाइंट
		अ०ज०जा०	[illegible], 7, [illegible], 43, 49, 57, 63, 71. 77, 85, 91. (1[illegible]) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 55, 61, 65, 67, 69, 75, 79, 81, 83, 89, 93, 95. (27) प्वाइंट
5.	[illegible] हरियाणा 19 अ०जा०/शून्य अ०ज०जा०/27 अ०पि०वर्ग	अ०जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ०पि०वर्ग	3, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 37, 39, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93. (27) प्वाइंट

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
6.	हिमाचल प्रदेश 25 अ०जा०/5 अ०ज०जा०/ 20 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97. (25) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	3, 23, 43, 63, 83 (5) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	7, 11, 15, 19, 27, 31, 35, 39, 47, 51, 55, 59, 67, 71, 75, 79, 87, 91, 95, 99. (20) प्वाइंट
7.	~~जम्मू तथा कश्मीर~~ 9 अ०जा०/13 अ०ज०जा०/ 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा	3, 15, 27, 37, 47, 59, 69, 83, 93. (9) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97. (13) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 29, 31, 35, 39, 43, 45, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 71, 75, 79, 85, 87, 91, 95, 99. (27) प्वाइंट
8.	~~कर्नाटक~~ 15 अ०जा०/5 अ०ज०जा०/ 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 13, 19, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 77, 83, 89. (15) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	3, 29, 53, 79, 93. (5) प्वाइंट
		अ० पि० वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 81, 85, 87, 91, 95, 99. (27) प्वाइंट
9.	~~केरल~~ 10 अ०जा०/1 अ०ज०जा०/ 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89. (10) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	(1) प्वाइंट
		अ० पि० वर्ग	5, 7, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 45, 47, 51, 55, 57, 61, 65, 71, 73, 77, 81, 85, 91, 95, 99. (27) प्वाइंट
10.	मध्य प्रदेश 14 अ०जा०/23 अ०ज०जा०/ 13 अ० पि० वर्ग	अ०जा	3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87. (14) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89 (23) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	7, 15, 27, 39, 47, 55, [illegible] 97, 99. ([illegible]) प्वाइंट
11.	महाराष्ट्र 7 अ०जा०/9 अ०ज०जा०/ 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 17, 31, 45, 59, 73, 87. (7) प्वाइंट
		अ०ज०जा०	1, 11, 23, 33, 43, 55, 67, 79, 91 (9) प्वाइंट
		अ०पि०वर्ग	5, 7, 9, 13, 19, 21, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 47, 51, 53, 57, 61, 65, 69, 71, 75, 81, 83, 89, 93, 95, 99. (27) प्वाइंट

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
12.	मणिपुर 1 अ०जा०/21 अ०ज०जा०/ 22 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3 (1) प्वाइंट अ०ज०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) प्वाइंट अ० पि०वर्ग 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (22) प्वाइंट	
13.	मेघालय 1 अ०जा०/44 अ०ज०जा०/ 5 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3 (1) प्वाइंट अ०ज०जा० 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97. (44) प्वाइंट अ०पि० वर्ग 7, 25, 43, 57, 99. (5) प्वाइंट	
14.	मिजोरम शून्य अ०जा०/45 अ०ज०जा०/ 5 अ० पि० वर्ग	अ० जा०: शून्य अ०ज०जा० 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 99. (45) Points. अ०पि०वर्ग 5, 53, 57, 91, 97. (5) प्वाइंट	
15.	उड़ीसा 15 अ०जा०/23 अ०ज०जा०/ 12 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 3, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95. (15) प्वाइंट अ०ज०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89. (23) प्वाइंट अ०पि०वर्ग 7, 15, 27, 39, 47, 55, 67, 79, 91, 93, 97, 99. (12) प्वाइंट	
16.	पंजाब 27 अ०जा०/शून्य अ०ज०जा०/ 23 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 1, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 67, 71, 75, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97. (27) प्वाइंट अ०ज०जा०. शून्य अ०पि०वर्ग 3, 7, 11, 15, 21, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 65, 69, 73, 77, 81, 87, 93, 99. (23) प्वाइंट	
17.	राजस्थान 17 अ०जा०/27 अ०ज०जा०/ 21 अ० पि० वर्ग	अ०जा० 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97. (17) प्वाइंट अ०ज०जा० 3, 11, 21, 27, 35, 45, 51, 59, 69, 75, 83, 93. (12) प्वाइंट अ०पि०वर्ग 5, 9, 15, 17, 23, 29, 33, 39, 41, 47, 53, 57, 63, 65, 71, 77, 81, 87, 89, 95, 99. (21) प्वाइंट	

https://www.staffnews.in | https://... | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
18.	सिक्किम 6 अ०जा०/23 अ०ज०जा०/21 अ०पि० वर्ग	अ०जा०	3, 23, 41, 59, 77, 93 (6) वार्ड
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91, 95. (23) वार्ड
		अ० पि० वर्ग	7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 43, 47, 51, 55, 63, 67, 71, 73, 81, 85, 89, 97, 99. (21) वार्ड
19.	तमिलनाडु 19 अ०जा०/1 अ०ज०जा०/27 अ०पि० वर्ग	अ० जा०	1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91. (19) वार्ड
		अ०ज०जा०	3 (1) वार्ड
		अ० पि० वर्ग	7, 9, 13, 17, 23, 27, 29, 33, 37, 43, 47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 79, 83, 87, 89, 93, 95, 99. (27) वार्ड
20.	त्रिपुरा 15 अ०जा०/29 अ०ज०जा०/6 अ०पि० वर्ग	अ०जा०	3, 11, 17, 23, 31, 37, 45, 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 95. (15) वार्ड
		अ०ज०जा०	1, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 61, 63, 67, 69, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 91, 93. (29) वार्ड
		अ०पि०वर्ग	7, 25, 43, 57, 97, 99. (6) वार्ड

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.

21. उत्तर प्रदेश
21 अ० जा० / 1 अ० ज० जा० /
27 अ० पि० वर्ग

अ० जा० 1, 5, 11, 15, 21, 25, 31, 35, 41, 45, 5
55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 89, 95, 9

(21) खाली

अ० ज० जा० 3 (1) खाली

अ० पि० वर्ग 7, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 33, 37, 39, 4
47, 49, 53, 57, 59, 63, 67, 69, 73, 77, 7
83, 87, 91, 93, 97.

(27) खाली

22. पश्चिम बंगाल
22 अ०जा० / 6 अनु०जन०जा० /
22 अन्य पि० वर्ग

अ० जा० 1, 5, 9, 13, 17, 21, 27, 31, 35, 39, 45.
49, 53, 57, 61, 65, 69, 75, 79, 83, 87, 91.

(22) खाली

अ० ज० जा० 3, 23, 43, 63, 85, 97. (6)

अ० पि० वर्ग 7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 41, 47, 51,
55, 59, 67, 71, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 95.

(22). खाली

संघ शासित क्षेत्र
1. अंडमान निकोबार द्वीप अ०जा० शून्य

अ० ज० जा० 1, 9, 17, 25, 33, 43, 51, 59, 67, 75, 83.
93. (12) खाली

अ० पि० वर्ग 3, 7, 11, 15, 19, 21, 27, 29, 31, 35, 39,
45, 47, 53, 55, 61, 65, 69, 71, 77, 79, 81,
85, 89, 95, 97, 99.
(27)

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

1.	2.	3.	4.
2.	चण्डीगढ़ 14 अ०जा० / शून्य अ०ज०जा० / 27 अ०पि०वर्ग	अ०जा०	1, 7, 15, 21, 29, 35, 43, 49, 57, 63, 71 77, 85, 91. (14)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ०पि०वर्ग	3, 5, 9, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 37 41, 45, 47, 51, 53, 59, 61, 67, 73, 79, 81 87, 89, 93, 95, 99. (27)
3.	दादरा और नगर हवेली 2 अ०जा० / 43 अ०ज०जा० / 5 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	3, 53 (2)
		अ०ज०जा०	1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97. (43)
		अ० पि० वर्ग	5, 49, 55, 95, 99. (5)
4.	दमन व दीव 2 अ०जा० / 1 अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 49 (2)
		अ०ज०जा०	3 (1).
		अ० पि० वर्ग	5, 9, 11, 15, 17, 21, 25, 29, 35, 39, 43, 47, 53, 55, 57, 61, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 87, 91, 95, 99. (27) Points.
5.	पांडिचेरी 16 अ०जा० / शून्य अ०ज०जा० / 27 अ० पि० वर्ग	अ०जा०	1, 7, 11, 19, 25, 31, 37, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93. (16)
		अ०ज०जा०	शून्य
		अ० पि० वर्ग	3, 5, 13, 15, 21, 23, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 65, 67, 73, 77, 79, 85, 89, 91, 95, 99. (27)

टिप्पणी :-

1. अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा लक्षद्वीप के संबंध में वर्तमान आरक्षण रोस्टरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
2. गोवा के लिए आरक्षण रोस्टर वही होगा जो दमन तथा दीव के संघ शासित प्रदेश के लिए है ।
3. दिल्ली के मामले में अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर का पालन किया जाएगा ।

अ०जा०	- अनुसूचित जाति
अ०ज०जा०	- अनुसूचित जनजाति
अ०पि०वर्ग	- अन्य पिछड़े वर्ग

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

Annexure-III

संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

---

5 JUL 2005

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई, 2005

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह 'ग' और 'घ' पदों, जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, सामान्यतः संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर नियत किया जाता है । 1981 की जनगणना के आधार पर यह आरक्षण पिछली बार 1985 में नियत किया गया था । ऐसे मामलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, 27 प्रतिशत की अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन 1993 में नियत किया गया था, जिसमें यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि किसी भी हालत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो । अब समूह 'ग' और 'घ' पदों जिन पर नियुक्ति हेतु सामान्यतः स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवारों की रूचि रहती है, पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मात्रा को 2001 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए अनुसार संशोधित करने का निर्णय किया गया है ।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे । तथापि, ऐसे मामलों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है जहां इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पूर्व विद्यमान आरक्षण की प्रतिशतता के अनुसार, पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहले ही भर्ती एजेंसियों को भेज दिया गया है अथवा पदों के लिए पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया गया है ।

..................2/-

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In

3. यह अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दिया जाए ।

(के. जी. वर्मा)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092797

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग तथा इस मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली ।
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली ।
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली ।
6. रेल बोर्ड ।
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
9. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
10. राष्ट्रीय, अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
11. राष्ट्रीय, अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-।, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।
13. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002.
14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली, लोक उद्यम चयन बोर्ड, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय पुस्तकालय ।
15. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
16. स्थापना (आरक्षण) अनुभाग के लिए 300 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issue Section
[illegible]
जारी किया/ISSUED
ह/Sig.

-12-

दिनांक 0[illegible].07.2005 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36017/1/2004 - स्थापना (आरक्षण) का अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरक्षण की प्रतिशतता		
		अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अ.पि.वर्ग.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	27
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	45	0
3.	असम	7	12	27
4.	बिहार	16	1	27
5.	छत्तीसगढ़	12	32	6
6.	गोवा	2	0	18
7.	गुजरात	7	15	27
8.	हरियाणा	19	0	27
9.	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
~~10.~~	~~जम्मू और कश्मीर~~	~~8~~	~~11~~	~~27~~
11.	झारखंड	12	26	12
12.	कर्नाटक	16	7	27
13.	केरल	10	1	27
14.	मध्य प्रदेश	15	20	15
15.	महाराष्ट्र	10	9	27
16.	मणिपुर	3	34	13
17.	मेघालय	1	44	5
18.	मिजोरम	0	45	5
19.	नागालैंड	0	45	0
20.	उड़ीसा	16	22	12
21.	पंजाब	29	0	21
22.	राजस्थान	17	13	20
23.	सिक्किम	5	21	24
24.	तमिलनाडु	19	1	27
25.	त्रिपुरा	17	31	2
26.	उत्तरांचल	18	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28.	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	8	27
30.	चण्डीगढ़	18	0	27
31.	दादरा एवं नागर हवेली	2	43	5
32.	दमन एवं दीव	3	9	27
33.	दिल्ली	15	7.5	27
34.	लक्षद्वीप	0	45	0
35	पांडिचेरी	16	0	27

https://www.staffnews.in | https://www.facebook.com/cgenews | https://twitter.com/StaffNews_In